(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(6)/LA-2013/Const Jass/99-107

Dated 13/the September, 2013

NOTIFICATION

NO. F.14(6)/LA-2013/ Const Vald 185- 107- 13/5/ca -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 12th September, 2013 and is hereby published for general information:-

"The Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, fixation of Non-Exploitative Fee and Other measures to Ensure Equity and Excellence)(Amendment) Act, 2013

(DELHI ACT 07 OF 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 30th August, 2013)

[12thSeptember, 2013]

An Act to amend the Delhi Professional colleges or Institutions (Prohibition of capitation fee, Regulation of Admission, fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 8 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

- Short title and commencement. (1) This Act may be called the Delhi Professional Colleges or Institutions (prohibition of Capitation fee, Regulation of admission, fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) (Amendment) Act, 2013
 - (2) it shall come into force on such date as the government may, by notification in the official gazettee, appoint.
- Amendment of section 12 in the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and other measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 8 of 2007), in section 12, the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that section 12 (1) shall not be applicable to Army College of Medical Sciences run by Army Welfare Education Society".

(DR. SAURABH KULSHRESHTHA) Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग) आठवॉ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं0 फा0 14(6)/एलए-2013/(onselaw/99-10)

दिनांक 13/सितंबर, 2013

अधिसूचना

दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) संशोधन अधिनियम, 2013 (2013 का दिल्ली अधिनियम 07)

(30 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[12 **सितंबर**, 2013]

दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) का संशोधन करने के लिए एक अधिनियम

यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा भारतीय गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जार,=

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंम .— (1) दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) (सशोधन) विधेयक, 2013 कहा जा सकेगा।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में सरकार द्वारा अधिसूचना से नियत तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. **धारा 12 का संशोधन** .— दिल्ली व्यवसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु केपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 12 में अन्त में निम्निलखित परन्तुक सिन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"शर्त यह है कि धारा 12(1) के सेना कल्याण शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित आर्मी कॉलेज ऑफ मेडीकल साइसिस् पर नहीं लागू होगी।"

Sh

(डा. सौरम कुलश्रेष्ठ) अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)